

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4704**  
**दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ**

.....

**अटल भूजल योजना का विस्तार**

**4704. श्री बस्तीपति नागराजू:**

**श्री बी. के. पार्थसारथी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पाँच वर्षों के दौरान अटल भूजल योजना (एबीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई राज्य-वार कुल धनराशि कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने एबीवाई के कार्यान्वयन और अन्य राज्यों में इसके संभावित विस्तार पर कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया है;
- (घ) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रचार गतिविधियाँ शुरू की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क):** अटल भूजल योजना एक समुदाय आधारित सहभागिता भूमि जल प्रबंधन स्कीम है जो भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करती है और इसे 7 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे जल की कमी वाली 8,203 ग्राम पंचायतें लाभान्वित हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, स्थानीय समुदायों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की गई जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी) में सिफारिश की गई विभिन्न आपूर्ति और मांग पक्ष उपायों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चालू स्कीमों के साथ अभिसरण के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए राज्यों को उपयुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान, चयन और व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है। अटल जल एमआईएस डैशबोर्ड पर कार्यान्वयन करने वाले राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना

के अनुसार, अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2024 तक, लगभग 9.78 लाख लाभार्थियों को अभिसरण के साथ-साथ प्रोत्साहन निधियों के उपयोग के माध्यम से अपने खेत को कुशल जल-उपयोग प्रथाओं (ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्टिचिंग, पॉली हाउस, फसल विविधीकरण, आदि) के तहत लाने के लिए सहायता/सब्सिडी प्रदान की गई है। राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इसी तरह, जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए लगभग 81,700 आपूर्ति-पक्ष संरचनाओं का निर्माण/नवीनीकरण किया गया है, जिससे कार्यान्वयन क्षेत्र के सभी समुदायों को लाभ हुआ है।

**(ख):** अटल भूजल योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2025 तक राज्य-वार जारी और उपयोग की गई कुल राशि निम्नानुसार प्रदान की गई है:

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	जारी	उपयोग
गुजरात	595.57	470.61
हरियाणा	753.00	620.48
कर्नाटक	903.21	831.71
मध्य प्रदेश	211.75	193.89
महाराष्ट्र	643.82	609.59
राजस्थान	489.50	484.79
उत्तर प्रदेश	264.83	207.13
<b>कुल</b>	<b>3861.68</b>	<b>3418.20</b>

**(ग) और (घ):** अटल भूजल योजना के अंतर्गत गतिविधियों के प्रभाव आकलन का कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, अटल भूजल योजना एक निश्चित अवधि और परिव्यय के साथ भागीदारी भूजल प्रबंधन के लिए एक पायलट परियोजना है। वर्तमान में, परियोजना प्रभाव आकलन चरण में है।

**(इ):** अटल भूजल योजना ने सतत जल उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रचनात्मक प्रचार गतिविधियां शुरू की हैं जिनमें हरियाणा में नैरोकास्टिंग के माध्यम से प्रचार, महाराष्ट्र में कर जल डिंडीस में लोक नृत्य, राजस्थान में रात्रि चौपाल, उत्तर प्रदेश में जल कोष यात्रा और पानी पाठशाला आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अटल जल रथ यात्रा, नुक्कड़ नाटक/ कठपुतली शो, पत्रक/ब्रोशर और पैम्फलेट का वितरण, ऑडियो/वीडियो प्रचार, दीवार चित्रकारी, डोर टू डोर अभियान, कला जत्था, वृत्तचित्र तैयार करना, ग्राम पंचायतों में साइन बोर्ड, पोस्टर और होर्डिंग लगाना, ग्राम पंचायत में क्यूआर कोड लगाना आदि जैसे नया अभियान भी आयोजित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

"अटल भूजल योजना का विस्तार" के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4704 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अटल भूजल योजना में मांग पक्ष गतिविधियों के तहत प्रत्यक्ष लाभार्थियों की कुल संख्या (अक्टूबर, 2021 से दिसंबर, 2024 तक)

क्रम सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	गुजरात	98,012
2	हरियाणा	1,16,564
3	कर्नाटक	1,96,330
4	मध्य प्रदेश	24,309
5	महाराष्ट्र	3,69,306
6	राजस्थान	1,38,815
7	उत्तर प्रदेश	35,373
		<b>9,78,709</b>

\*\*\*\*\*